<u>अति तत्काल</u>

सं. 16(12)/2012-एलआर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
(एलआर-अनुभाग)

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 25.07.2013

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः ऑटोमोटिव वाहनों के लिए न्यूमैटिक टायर और ट्यूब गुणवत्ता (नियंत्रण) आदेश, 2009 के मद्देनजर बैंचमार्किंग, स्वीकृति तथा अंशांकन के प्रयोजनार्थ स्वदेशी टायर विनिर्माता कंपनियों तथा मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम) के द्वारा आयातित टायरों को छूट देना ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टायर विनिर्माता कंपनियों के द्वारा बैंचमार्किंग के प्रयोजनार्थ एक विशिष्ट मात्रा में टायरों के आयात से संबंधित मुद्दा विचाराधीन था। इस मामले पर अपर डीजीएफटी की अध्यक्षता में 29.05.2013 को हुई अंतर-मंत्रालयी बैठक में विचार किया गया था तथा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2009 के खंड 3(घ) के तहत निम्न शर्तों के साथ स्वदेशी टायर विनिर्माताओं तथा मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम) के द्वारा बैंचमार्किंग, स्वीकृति तथा अंशांकन के प्रयोजनार्थ **प्रत्येक आकार के 150 टायरों (बीआईएस की मार्किंग के बिना) के आयात की मंजूरी देने** का निर्णय लिया गया हैः

(i) टायर विनिर्माताओं तथा ओईएम के द्वारा बैंचमार्किंग, स्वीकृति तथा अंशांकन के प्रयोजनार्थ **आयात किए गए टायरों की मात्रा प्रत्येक आकार के 150 टायरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।**

(ii) केवल स्वदेशी टायर विनिर्माता कंपनियां तथा ओईएम को बैंचमार्किंग, स्वीकृति तथा अंशांकन के प्रयोजनार्थ ऐसे टायरों का आयात करने का अधिकार होगा तथा इसके लिए वे अपने रिकॉर्ड में सही-सही प्रविष्टियां रखेंगे तथा

(iii) स्वदेशी टायर विनिर्माताओं तथा ओईएम को सीमा शुल्क प्राधिकरणों को स्पष्ट तौर पर यह शपथ-पत्र देना होगा कि ऐसे आयातित टायरों का

उपयोग केवल बेंचमार्किंग, स्वीकृति तथा अंशांकन के प्रयोजनार्थ किया जाएगा तथा इन्हें बाजार में अन्य उपभोक्ताओं को बेचा नहीं जाएगा।

2. प्रत्येक आकार के उपर्युक्त 150 टायरों की संख्या को ऑटोमोटिव वाहनों के लिए न्यूमैटिक टायर और ट्यूब गुणवत्ता (नियंत्रण) आदेश, 2009 के तहत बीआईएस मार्किंग से छूट होगी।

भवदीय,

(बाबू लाल)
निदेशक
टेलीफैक्स: 23063212

1. उपभोक्ता मामले विभाग,
   (श्री अशोक जैन, निदेशक (बीआईएस),
   कृषि भवन, नई दिल्ली

2. निदेशक (सीमा शुल्क)
   केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड,
   राजस्व विभाग, दूसरा तल,
   नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

3. विदेश व्यापार महानिदेशक
   (ध्यानार्थ: श्री डी.के. सिहं, अपर विदेश व्यापार महानिदेशक)

4. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)
   (ध्यानार्थ: श्री अफजल अमानउल्लाह, आईएएस, महानिदेशक),
   मानक भवन, 9-बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली

5. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
   (श्री आनन्द प्रकाश, निदेशक),
   कमरा नं. 531 परिवहन भवन,
   1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-1

6. आटोमोटिव टायर विनिर्माता संघ (एटीएमए),
(श्री राजीव बुद्धराजा, महानिदेशक)
पीएचडी हाउस (चौथा तल), एशियन गेम्स वीलेज के पीछे,
सीरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली-110016

7. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (एसआईएएम),
(श्री सुगातो सेन, उप महानिदेशक),
कोर 4-बी, पांचवां तल, इंडियन हैबिटेट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

8. अखिल भारतीय टायर डीलर संघ,
श्री एस.पी. सिहं (संयोजक),
865/32, गुरू नानक हाउस, एस.पी. मुखर्जी मार्ग,
दिल्ली-110006

9. इंडियन टायर टैकनीकल एडवाइजरी कमेटी (आईटीटीएसी),
(श्री टी. चक्रवर्ती, महासचिव),
पीएचडी हाउस (चौथा तल),
अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली-110016